



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128654

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21241/2026

राजेश सागरआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	प्रत्यर्थी	(गण)
-------	--------	-------	-----------------	------

आवेदक के अधिवक्ता : अजय कुमार कश्यप, सुभाष चंद्र यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र यादव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को मुग्हा।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना दातागंज, जिला बदायूं में मुकदमा अपराध संख्या 355/2019, अंतर्गत धारा 409, 477(ए), 467, 468, 471, 120बी आईपीसी एवं धारा 13(2) अपराध निवारण अधिनियम (पी.सी. एक्ट) के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक कोषागार में लेखा लिपिक था और वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.11.2019 को उसके तथा अन्य के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सार्वजनिक धन का गबन किया है, परंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.11.2019 को दर्ज की गई थी, परंतु विचारण के दौरान विचारण अधिकारी आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य एकत्र नहीं कर सका और इसलिए वह पहले आवेदक को गिरफ्तार नहीं कर सका, लेकिन 29.03.2026 को बिना किसी ठोस साक्ष्य के उसने आवेदक को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 04.05.2026 को वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसलिए वर्तमान मामले में आरोप पत्र साढ़े पांच साल के बाद दाखिल किया गया है।
5. उन्होंने आगे तर्क किया कि वास्तव में सार्वजनिक धन का पूरा गबन सह-अभियुक्त हरीश कुमार, उप-कैशियर द्वारा किया गया है और यह तथ्य दिनांक 17.11.2019 की जांच रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जो पेपर-बुक के पृष्ठ-33 पर संलग्न है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जांच के दौरान पूरी तरह से सहयोग किया, परंतु इसके बावजूद आरोप पत्र दाखिल करने से ठीक पहले विचारण अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 29.03.2026 से जेल में बंद है।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित तर्कों का वे विरोध नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
10. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य लोक सेवक ने सार्वजनिक धन का गबन किया है, परंतु यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.11.2019 को आवेदक और अन्य के विरुद्ध सामान्य आरोप के आधार पर दर्ज की गई थी और आवेदक को केवल 29.03.2026 को ही गिरफ्तार किया जा सका, जबकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने विचारण में सहयोग नहीं किया।
11. इसके अतिरिक्त, वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट दिनांक 17.11.2019 से यह स्पष्ट होता है कि सह-अभियुक्त हरीश कुमार, उप-कैशियर ही मुख्य अभियुक्त था और जांच रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि जांच के दौरान आवेदक ने पूरी तरह से सहयोग किया था।
12. इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि चूंकि आवेदक कोषागार में लेखापाल-सह-लिपिक था, इसलिए उसे सामान्य आरोप के आधार पर वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है और प्रथम दृष्टया उसके विरुद्ध ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है जो यह संकेत दे सके कि आवेदक ही वह व्यक्ति था जिसने कथित कूटरचना और गबन किया था।
13. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 29.03.2026 से जेल में बंद है और यह स्पष्ट होता है कि विचारण के बाद वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
14. इसके अतिरिक्त, कानून स्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
15. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
17. आवेदक - राजेश सागर को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो सके या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

18. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

ए.के. पांडेय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"